(1)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु० न० 107/16 तारीख रजू 23-9-16

उनवान — केशन्ती बनाम महावीर सिंह

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से रामभरोसी गुप्ता Adv. ने दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 30-9-16 को पेश हो। — 2738 23.9.16

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

30.9.16

वादी वकील उप०/ प्रतिवादी की ओर से श्री सुनील कुमार सिंदल Adv. ने वकालतनामा पेश किया/ वास्ते जवाब दिनांक 17.10.16 को पेश हो।

17/10/16 वादी वकील उप०/ गतानुसार दिनांक 26-10-16 को पेश हो।

26.10.16

वकुलाय उप./ जवाब पेश करने समय चाहा/ समय दिया गया/ वास्ते जवाब दावा पेश करने दिनांक 24.11.16 को पेश हो।

24/11/16 वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी जयपुर पर चले है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 29-11-16 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

दावा - केशन्ती देवी बगै० बनाम महावीर सिंह (2)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

वकुलाय उपस्थित। यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के निर्णयार्थ नियत की हुई है। प्रार्थना पत्र इस प्रकार प्रतिवादी वकील ने प्रस्तुत किया है कि वादी नं. 2 निहालसिंह द्वारा खातेदार प्रतिवादी महावीर सिंह के विरुद्ध खाता संख्या 188 में वर्णित ख. नं. 130/2431 रकबा 20 ऐयर, 139 रकबा 14 ऐयर, 140/2572 रकबा 19 ऐयर, 141 रकबा 2.76 है०, 142 रकबा 1.00 है०, 146 रकबा 42 ऐयर, 147 रकबा 46 ऐयर, 148 रकबा 13 ऐयर, 149 रकबा 92 ऐयर स्थित ग्राम भण्डारी अन्दरूनी के बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया है। वादी नं. 2 उक्त आराजीयात का खातेदार नहीं है और कानूनन विवादित आराजीयात का मालिक व खातेदार नहीं होने पर स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकता है। तथा वादी नं. 2 ने तथाकथित फर्जी गिरवीनामा तारीखी - 7-6-2012 को आधार बनाकर प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है जो आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किये जाने के योग्य है। वादीगण ने अपने वादपत्र में उक्त आराजीयात बाबत घोषणा खातेदारी एंव तकासमा का अनुतोष नहीं चाहा है, सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है केवल तथाकथित फर्जी स्टाम्प तारीखी 7.6.2012 गिरवीनामा के आधार पर कानून के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है। जबकि उक्त आराजीयात पर वादी

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम

नं 2 का कब्जा नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर वादीगण का दावा खारिज किया जाये।

वादी वकील ने वादीगण का जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी पेश किया है कि यह प्रार्थना पत्र कतई गलत व अवैध प्रस्तुत किया है प्रार्थी का दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी होकर विपक्षी अपने वकील के जरिये उपस्थित हुआ है जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने कई तारीख भी ले चुका है। जवाब पेश नहीं कर मुकदमा को लम्बा करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो उन्र इस प्रार्थना पत्र में लिया है वह अपने जवाब प्रार्थना पत्र में भी ले सकता है तबकी कायम होकर, तबकी पर बहस होकर इस उन्र का फैसला हो सकता था। अप्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में गिरवीनामा को फर्जी बताया है, न्यायालय में जवाब भी पेश नहीं किया है, साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं हुई है तथा यह गिरवी नामा भी फर्जी साबित नहीं हुआ है। दावा सही पेश किया है। कृषि भूमि कानूनन गिरवी रखी जा सकती है जिसका प्रावधान राज० टिनेन्सी एक्ट में दिया गया है। प्रार्थी/प्रतिवादी ने यह प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी गलत पेश किया है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये तथा प्रतिवादी का जवाब दावा भी बन्द किया जाये।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

प्रार्थी/प्रतिवादी के वकील ने बहस प्रारंभ करते हुए प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश करने का किसी प्रकार से कानूनन अधिकार नहीं है क्योंकि वादीगण विवादित आराजी यात के खातेदार, काश्तकार, मालिक या गैर खातेदार ही नहीं है। जबकि स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश करने के लिए खातेदार, काश्तकार, मालिक अथवा गैर खातेदार होना अत्यन्त आवश्यक है। केवल फर्जी गिरवीनामा तथा कथित तारीख 7.6.2012 को आधार बनाकर यह स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है जो खारिज योग्य है। वादीगण को उक्त विवादित आराजीयात पर कोई किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। अप्रार्थी/वादी वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि मूल दावा का जबाब पेश नहीं किया है, तनकीयात कायम होने पर साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही दावा का निर्णय किया जा सकता है तथा इस स्टेज पर यह प्रार्थना पत्र 07 R.11 पेश का मुकदमा को लम्बा करने की नियत से पेश किया है के बावत प्रार्थी (प्रतिवादी) वकील ने कथन किया कि यह प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC मुकदमा में किसी भी स्टेज पर पेश किया जा सकता है क्योंकि वादी गण ने यह दावा तथा कथित फर्जी गिरवीनामा के आधार पर बिना खातेदार, मालिक अथवा गैर खातेदार की हैसीयत से स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जो

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

दिनांक

किसी भी स्टेज पर खारिज किया जा सकता है। बहस के समर्थन में माननीय राज० उच्च न्यायालय मे पेश हुई अपील मुरलीराम वगैरह बनाम स्टेट आफ राजस्थान एवं अन्य के निर्णय दिनांक 16.7.2014 के पृष्ठ 2014(3) DNJ (Raj) 1105 तथा माननीय राज उच्च न्यायालय के प्रकरण चौली व अन्य बनाम बोर्ड आफ रेवन्यू व अन्य मे अपील के निर्णय दिनांक 24 नवम्बर 2015 के RRD पृष्ठ संख्या 135 की नजीरें प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 188 में वर्णित उद्धरण पृष्ठसंख्या 407 भी उल्लेखित किया कि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद केवल खातेदार काश्तकार के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धारा 14 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत काश्तकार खातेदार काश्तकार, मालिक, खुद काश्तकार, एवम् गैर खातेदार काश्तकार आते हैं। वादीगण इस चारो में से किसी भी श्रेणी में नही आते है। इसलिए प्रार्थी। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 07 R 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार करते हुए वादीगण का दावा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी। वादीगण के वकील ने बहस प्रारम्भ करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया। कथन किया कि प्रतिवादी ने विवादित जमीन प्रतिवादी महावीर सिंह ने दिनांक

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

7-6-2012 को वादी निहालसिंह के यहाँ गिरवी रखदी थी तबसे इन्हीं का कब्जा काश्त है। गिरवीनामा के फर्जी होने की बात बिलकुल गलत व असत्य है। इस मामले में जबाब दावा पेश हो चुका थी तनकीयात कायम होकर तनकीयात पर बहस होकर साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हैं। साक्ष्य में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर गिरवीनामा के फर्जी होने तथा मुकदमा का फैसला हो सकता है। प्रतिवादी ने इस स्टेज पर यह प्रार्थना पत्र O7R11 CPC कतई गलत एवं अनैच्छ पेश किया है यह प्रार्थना पत्र इन्हे पेश करने का अधिकार ही नहीं है। इस मामले में तनकी कायम होकर निर्णय होना चाहिए। माननीय राज० उच्च न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी नाथूराम बनाम गोविन्द अग्रवाल व अन्य में निर्णय दिनांक 29.10.2013 की नजीर 2014(1) DNJ (Raj) 62 पेश की। तथा यह भी कथन किया कि अर्जी। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज फरमाया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 में वर्णित प्रावधानों तथा वकील उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अध्ययन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

दिनांक	
	188 के प्रावधानों के अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने वाले वादी का प्रथमत: काश्तकार खातेदार काश्तकार, मालिक, खुद काश्तकार, एवम् गैर खातेदार काश्तकार का होना आवश्यक है। वादी गण उक्त किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। यह दावा स्टाम्प पर लिखित गिरवीनामा के आधार को बनाकर पेश किया है। स्टाम्प की लिखावट के आधार पर भी स्थायी निषेधाज्ञा का दावा राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। बेचान या इकरारनामा को आधार बनाकर ऐसे स्वत्व सिविल न्यायालय के समक्ष निष्पादन हेतु प्रस्तुत किये जाने चाहिए। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 5 (6) राज०-6/92/11 जयपुर दिनांक 5.4.2006 के अनुसार भी जिन मामलों में विक्रय करने का अनुबन्ध (Agreement to sale) हो चुका है उन मामलों में विक्रय मानते हुए मामले को सुनवाई हेतु नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि (Agreement to sale) विक्रय नहीं है व (Agreement to sale) के संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है नाकि राजस्व न्यायालय को" प्रार्थी। प्रतिवादी वकील द्वारा नजीर दिनांक 16.7.2014 के निर्णय बाबत कि आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र वाद के किसी भी प्रक्रम

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

(स्टेज) पर पेश किया जा सकता है जो अधिक उपयुक्त है तथा इस मामले में चस्पा होती है उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण के काश्तकार खातेदार काश्तकार, मालिक खुद काश्त एवम् गैर खातेदार काश्तकार नहीं होने तथा इस स्टेज पर यह प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तथा वादीगण का दावा अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर जब्त से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.2.17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner